निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–25/2017
दायरा दिनांक :–09.02.2017
निर्णय दिनांक :–24.01.2023

उनवान

1. मुकेश पुत्र श्री नन्दलाल माता का नाम अनुसूईया बाई जातिगण मीणा निवासीगण पीपल्दा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. पवन पुत्र श्री नन्दलाल माता का नाम अनुसूईया बाई जातिगण मीणा निवासीगण पीपल्दा तहसील बारां जिला बारां राज0
3. लोकेश पुत्र श्री नन्दलाल माता का नाम अनुसूईया बाई जातिगण मीणा निवासीगण पीपल्दा तहसील बारां जिला बारां राज0
4. जितेन्द पुत्र श्री नन्दलाल माता का नाम अनुसूईया बाई जातिगण मीणा निवासीगण पीपल्दा तहसील बारां जिला बारां राज0

–वादीगण

बनाम

1. अनुसूईया बाई दत्तक पुत्री श्री पृथ्वीलाल पत्नि श्री नन्दलाल जाति मीणा निवासी पीपल्दा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0)
3. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा अस्पताल रोड़ बारां –प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,90, 91, 92 एवं188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :–24.01.2023

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल जैन एड0– वादी
2. श्री चन्द्रप्रकाश यादव एड0– प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम पीपल्दा तहसील बारां में खाता सं0 3 के खसरा नं0 210 रकबा 0.15 हे0, खसरा नं0 212 रकबा 0.11 हे0, खसरा नं0 213 रकबा 0.07 हे0, खसरा नं0 213/526 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 222 रकबा [illegible] हे0, खसरा नं0 223 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:20:12 IST
Reason: SelfAttested

06 हे0, खसरा नं0 228 रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 229 रकबा 0.12 हे0, खसरा नं0 237 रकबा 0.20 हे0, खसरा 381 रकबा 0.51 हे0, खसरा नं0 394 रकबा 0.52 हे0, खसरा नं0 511 रकबा 2.00 हे0 कुल 12 किता कुल रकबा 5.18 हे0 एवं खाता सं0 7 के खसरा नं0 365 रकबा 0.14 हे0, खसरा नं0 366 रकबा 0.06 हे, खसरा नं0 368 रकबा 1.31 हे0, खसरा नं0 500 रकबा 6.68 हे0, खसरा नं0 512 रकबा 8.14 हे0, खसरा नं0 512/540 रकबा 0.42 हे0 कुल 6 किता कुल रकबा 16.87 हे0 आराजियात अवस्थित है। जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम 01 के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। उपरोक्त भूमियों को वाद में आगे विवादग्रस्त भूमियों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उपरोक्त साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2025–28 की जमाबन्दी में पृथ्वीलाल वल्द मथुरा लाल कौम मीणा के नाम दर्ज थी। जिनके साबिक खसरा नं0 125 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 126 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा,खसरा नं0 127 रकबा 16 बिस्वा,खसरा नं0 128 रकबा 5 बिस्वा,खसरा नं0 135रकबा 10 बिस्वा,खसरा नं0 141रकबा 19 बिस्वा,खसरा नं0 146रकबा 18 बिस्वा,खसरा नं0 147रकबा 14 बिस्वा,खसरा नं0 151रकबा 1बीघा 3 बिस्वा,खसरा नं0 144रकबा 12 बिस्वा,खसरा नं0 202 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा,खसरा नं0 214 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा,खसरा नं0 223 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा,खसरा नं0 281रकबा 42 बीघा 2 बिस्वा,खसरा नं0 283रकबा 103 बीघा 12 बिस्वा, भूमियां थी। जो पृथ्वीलाल जी के नाम दर्ज थी।

पृथ्वीलाल जी ने अपने जीवनकाल में दो शादियां की, पहली पत्नी महताब बाई दूसरी पत्नी कचंन बाई थी। दोनों पत्नियों से पृथ्वीलाल जी के कोई संतान नहीं हुई तब पृथ्वीलाल जी ने अनुसूईया बाई जो उनके भाई की पुत्री थी। को दत्तक पुत्री बनाया एवं राजस्व कागजात में उसका नाम दर्ज करवाया। कंचन बाई व महताब बाई दोनों फौत हो चूकी है। इसके अलावा पृथ्वीलाल जी के कोई संतान नहीं हुई। भू प्रबन्ध विभाग के कार्य के पूर्व से ही यह भूमियां अनुसूईया बाई के नाम दर्ज चली आ रही है। तथा सम्वत् 2045–48 की जमाबन्दी में भी अनुसूईया दत्तक पुत्री पृथ्वीलाल का नाम दर्ज हो गया। उस समय तक कंचन बाई फौत हो चुकी थी। केवल महताब बाई जीवित थी। इस कारण वादग्रस्त भूमियों में अनुसूईया बाई दत्तक पुत्री पृथ्वीलाल व महताब बाई पत्नी पृथ्वीलाल की [illegible] का नाम दर्ज हुआ। महताब बाई भी सन् 1991 में फौत हो गई एवं इंतकाल [illegible] से महताब बाई के स्थान पर अनुसूईया बाई दत्तक पुत्री पृथ्वीलाल का नाम दर्ज हो गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:20.12 IST
Reason: SelfAttested

अनुसूईया बाई की शादी नन्दलाल जी के साथ हुई तथा अनुसूईया बाई व नन्दलाल जी के नुत्फे से वादीगण का जन्म हुआ। वादीगण जब से होश संभाला तब से चारों ही खेती कर रहे है। तथा अनुसूईया बाई ने वादग्रस्त भूमियों से प्रत्येक वादी को 1/5–1/5 हिस्सा दे रखा है। जिसे वादीगण काश्त कर रहे है। 1/5 हिस्सा प्रतिवादी कम 01 काश्त करवाती है।

वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादी कम 01 की स्वअर्जित भूमियां नहीं है। पुश्तैनी भूमियां है जो उसको अपने पिता से विरासत में मिली है। इस कारण वादीगण का उपरोक्त भूमियों में नोशनल शेयर बनता है। जिसे वादीगण काश्त कर रहे है। एवं अपना नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी व नालिशी है।

पक्षकारान जाति से मीणा है। जिन पर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम लागू होता है। तथा मीणा जाति में पुत्र न होने पर ही पुत्री का अधिकार मिलता है। पुत्र होने पर पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं मिलता है। इस कारण वादीगण वादग्रस्त भूमियों में 1/5–1/5 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी एवं नालिशी है। प्रतिवादी कम 01 वादग्रस्त भूमियों को बेचान करना चाहती है। तथा उसको कोई अधिकार हासिल नहीं है। दिनांक 26.01.2017 को उसने भूमियां बेचान करने की धमकी दी, अतः वादीगण खिलाफ प्रतिवादिया स्थायी निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी व नालिशी है। वादीग्रस्त भूमियों पर वर्तमान में प्रतिवादी कम 01 ने स्टेट बैंक ऑफ बीकाने एण्ड जयपुर शाखा बारां से किसान केडिट कार्ड ले रखा है। क्योंकि पक्षकारान किसान है। एवं ऋण की जरूरत पडती रहती है। इस कारण वादीगण यह वचन देते है। कि उनके हिस्से में जो भूमियां आयेगी, उस पर जितना ऋण आयेगा उस पर भी प्रतिवादी कम 03 का नाम बतौर रहन दर्ज रहेगा, जिसको चुकाने की जिम्मेदारी भी वादीगण वहन करेंगे। वाद कारण दिनांक 26.01.2017 को प्रतिवादी कम 10 द्वारा भूमियां बेचान करने की धमकी देने नीज दिनांक 27.01.2017 को नोटिस देने के फलस्वरूप ग्राम पीपल्दा तहसील बारां में उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत् 2073–76 खाता सं0 3, नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत् 2073–2076 खाता सं0 7, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038–2057, नकल मिलान सम्वत् 2045–48, नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत् 2021–24 खाता सं0 27, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2025–28 खाता 38, नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत् 2045–48 नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत् 2045–48 खाता 5, पेश किया गया। साक्ष्य वादी में pw1 लोकेश के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम पीपल्दा तहसील बारां में स्थित है। जो वर्तमान में प्रतिवादी कम के खातेदारी में है। पूर्व में यह भूमि पृथ्वीलाल के खातेदारी में थी। पृथ्वीलाल के दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:20:12 IST
Reason: SelfAttested

पत्नीयां थी महताब बाई व दूसरी पत्नी कचंन बाई थी। दोनों पत्नियों के कोई सन्तान नहीं हुई। उसके बाद अपने भाई की पुत्री अनुसूईया बाई को दत्तक पुत्री बनाया राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज करवाया। पृथ्वीलाल की दोनों पत्नीयां फोत हो चुकी है। सेटलमेन्ट पूर्व से ही अनुसूईया का नाम चला आ हरा है। अनुसूईया की शादी नन्दलाल जी के साथ हुई अनुसुईया व नन्दलाल से वादीगण पैदा हुए। वादीगण को अनुसूईया बाई द्वारा 1/5, 1/5 हिस्सा भूमि दे रखी है। जिसे वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने खातेदारी में दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी कम 1 द्वारा इकबाली जवाब पेश कर वादी को खातेदारी अधिकार देने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एंव रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत् 2073–76 खाता सं0 3 के अनुसार कुल खसरा नं0 12 किता रकबा 5.18 हे0 भूमि प्रतिवादी कम 1 अनुसूईया के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत् 2073–76 खाता सं0 7 के कुल खसरा नं0 6 किता रकबा 16.87 हे0 प्रतिवादी कम 1 अनुसूईया बाई दत्तक पुत्री पृथ्वीलाल के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत् 2045–48 में अनुसूईया दत्तक पुत्री पृथ्वीलाल व महताब बाई पत्नी पृथ्वीलाल का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत् 2021–24 में पृथ्वीलाल पुत्र मथुरालाल जाति मीणा का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत् 2025–28 में पृथ्वीलाल पुत्र मथुरालाल का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत् 2045–48 में अनुसूईया दत्तक पुत्री पृथ्वीलाल, महताब बाई पत्नी पृथ्वीलाल का नाम दर्ज है। जमाबन्दी के कॉलम नं0 16 व 17 में नामा0 सं0 70 से मृतक महताबबाई के स्थान पर अनुसूईया बाई का नाम दर्ज करने का नोट अंकित है। नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत् 2045–48 खाता सं0 5 में अुनसूईया दत्तक पुत्री, पृथ्वीलाल व महताब बाई पत्नी पृथ्वीलाल कौम मीणा दर्ज है।जमाबन्दी के कॉलम नं0 12 से 15 में नामा0 सं0 70 से मृतक महतबा बाई के स्थान पर अनुसूईया दत्तक पुत्री पृथ्वीलाल का नाम दर्ज करने का नोट अंकित है। इससे यह साबित होता है। कि विवादित आराजी पृथ्वीलाल के खातेदारी में थी। पृथ्वीलाल के मरने के बाद दत्तक पुत्री अनुसूईया बाई व पत्नी महताब बाई का नाम दर्ज हुआ। तथा महताब बाई के मरने के बाद दत्तक पुत्री अनुसूईया बाई का नाम दर्ज किया गया। वर्तमान में विवादित भूमि दत्तक पुत्री अनुसूईया बाई के खातेदारी में दर्ज है। वादीगण विवादित आराजी में अपना हिस्सा दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी कम 1 द्वारा इकबाली जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:20:12 IST
Reason: SelfAttested

पेश कर वादीगण का वाद स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:कियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया विवादित आराजी वाके ग्राम पीपल्दा तहसील बारां जिला बारां केखसरा नं0 210 रकबा 0.15 हे0, खसरा नं0 212 रकबा 0.11 हे0, खसरा नं0 213 रकबा 0.07 हे0, खसरा नं0 213/526 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 222 रकबा 1.30 हे0, खसरा नं0 223 रकबा 0.06 हे0, खसरा नं0 228 रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 229 रकबा 0.12 हे0, खसरा नं0 237 रकबा 0.20 हे0, खसरा 381 रकबा 0.51 हे0, खसरा नं0 394 रकबा 0.52 हे0, खसरा नं0 511 रकबा 2.00 हे0 कुल 12 किता कुल रकबा 5.18 हे0 एवं खाता सं0 7 के खसरा नं0 365 रकबा 0.14 हे0, खसरा नं0 366 रकबा 0.06 हे, खसरा नं0 368 रकबा 1.31 हे0, खसरा नं0 500 रकबा 6.68 हे0, खसरा नं0 512 रकबा 8.14 हे0, खसरा नं0 512/540 रकबा 0.42 हे0 कुल 6 किता कुल रकबा 16.87 हे0 में वादीगण को 1/5, 1/5हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मालविका त्यागी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:20:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 25/2017	अन्तर्गत 88,89,90,91,92 एवं 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 24.01.2023
समक्ष : श्रीमती मालविका त्यागी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री बाबूलाल जैन	अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री चन्द्रप्रकाश यादव	

वाद शीर्षक

उनवान

1. मुकेश पुत्र श्री नन्दलाल माता का नाम अनुसूईया बाई जातिगण मीणा निवासीगण पीपल्दा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. पवन पुत्र श्री नन्दलाल माता का नाम अनुसूईया बाई जातिगण मीणा निवासीगण पीपल्दा तहसील बारां जिला बारां राज0
3. लोकेश पुत्र श्री नन्दलाल माता का नाम अनुसूईया बाई जातिगण मीणा निवासीगण पीपल्दा तहसील बारां जिला बारां राज0
4. जितेन्द पुत्र श्री नन्दलाल माता का नाम अनुसूईया बाई जातिगण मीणा निवासीगण पीपल्दा तहसील बारां जिला बारां राज0

–वादीगण

बनाम

1. अनुसूईया बाई दत्तक पुत्री श्री पृथ्वीलाल पत्नि श्री नन्दलाल जाति मीणा निवासी पीपल्दा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0)
3. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा अस्पताल रोड़ बारां

–प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:–

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम पीपल्दा तहसील बारां जिला बारां केखसरा नं0 210 रकबा 0.15 हे0, खसरा नं0 212 रकबा 0.11 हे0, खसरा नं0 213 रकबा 0.07 हे0, खसरा नं0 213/526 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 222 रकबा 1.30 हे0, खसरा नं0 223 रकबा 0.06 हे0, खसरा नं0 228 रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 229 रकबा 0.12 हे0, खसरा नं0 237 रकबा 0.20 हे0, खसरा 381 रकबा 0.51 हे0, खसरा नं0 394 रकबा 0.52 हे0, खसरा नं0 511 रकबा 2.00 हे0 कुल 12 किता कुल रकबा 5.18 हे0 एवं खाता सं0 7 के खसरा नं0 365 रकबा 0.14 हे0, खसरा नं0 366 रकबा 0.06 हे, खसरा नं0 368 रकबा 1.31 हे0, खसरा नं0 500 रकबा 6.68 हे0, खसरा नं0 512 रकबा 8.14 हे0, खसरा नं0 512/540 रकबा 0.42 हे0 कुल 6 किता कुल रकबा 16.87 हे0 में वादीगण को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक ..... को निर्गत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:20:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डअधिकारी,
बारां जिला–बारां

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
	ब्याज (:)		